


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल क्वालियर १००००० सर्किट कोर्ट- रीवा,



१११ सनत कुमारसिंह तनयस्व० नागेश्वर सिंह चौहान, RS 250-II/15

११२ रणबहादुर सिंह तनयस्व० नागेश्वर सिंह चौहान,
बोनो नि० गृ० हडवडो पत्रालय उपनी, तह० गोपदबनास, जिला
सीधी १००००० -----आवेदकगण

काम

१११ सूर्यप्रतापसिंह तनय रविकरण सिंह १११११ द्वारा वारिसान -

११२ देवेन्द्र सिंह तनय स्व० सूर्यप्रताप सिंह सिंह ,

११३ विक्रमादित्य सिंह तनय स्व० सूर्यप्रताप सिंह ,

११४ दयासागरसिंह तनयस्व० सूर्यप्रताप सिंह ,

११५ बलराम सिंह तनय रविकरण सिंह,

११६ प्रवीण कुमार सिंह तनय ललन सिंह ,

सभी नि० गृ० हडवडो पत्रालय उपनी , थाना- कोतवाली, तह०
गोपदबनास, जिला- सीधी १००००० -----अनावेदकगण

न्यायालय रीवा
दिनांक 22/11/15

सुप्रीम कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी
गोपदबनास , जि० सीधी द्वारा प्रकरण
कू०-42/ब-121/13-14 में आदेश दिनांक
24-11-15 .

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०००००००००००

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :-


१११ यह कि माननीय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास, जिला-सीधी के
न्यायालयमें एक परिवाद प्रवीण कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया । इस
परिवाद द्वारा सहायक बंदोबस्त अधिकारी दल कू०-1 द्वारा परिवर्तन पंजी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5250-II/15

जिला-सीधी

सनत कुमार सिंह/सूर्यप्रताप सिंह वगैरः

(1)	(2)	(3)
27.04.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	